



बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014
संख्या-व.सं. / 35 / 2020- 176

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा0व0से0
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

पटना 14, दिनांक- 17/02/2020

विषय - जियों डिजिटल फाईबर प्रा० लि० द्वारा चनवरिया-पनरो पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत 0.08795 हे० वन भूमि आपयोजन का प्रस्ताव।

महाशय,

विषयाधीन प्रस्ताव जियों डिजिटल फाईबर प्रा० लि० द्वारा चनवरिया-पनरो पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने का है। प्रस्ताव में कुल 0.08795 हे० वन भूमि का अपयोजन होना है। प्रस्ताव मूल रूप में संलग्न प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी स्थलीय जाँच कर भाग-II में अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्ताव, वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को समर्पित किया जाय। वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर प्रस्ताव के भाग-III में अपनी अनुशंसा अंकित कर इसे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को समर्पित करेंगे। जाँच में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाय-

- (i) परियोजना स्थल की वैधानिक स्थिति, अगर सुरक्षित/रक्षित वन/वन्य प्राणी आश्रयणी घोषित है तो अधिसूचना की पठनीय प्रति संलग्न की जाय।
- (ii) प्रस्तावित पथ तट के RHS एवं LHS में अवस्थित वृक्षों को Translocate करने संबंधित संयुक्त गणना कर वृक्षों की संख्या अंकित करते हुए स्थलीय सत्यापन एवं तत्सम्बन्धी अभियुक्ति अंकित किया जाये।
- (iii) संलग्न नक्शा का भौतिक सत्यापन किया जाये एवं हस्ताक्षर अंकित किया जाय।
- (iv) परियोजना निर्माण के लिये अपयोजित होने वाली वन भूमि के क्षेत्रफल की गणना कर इसे प्रपत्र के भाग-II में अंकित एवं अपयोजित होने वाली वन भूमि का स्केच मानचित्र प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त कर प्रस्ताव के संलग्न संलग्न किया जाय।
- (v) स्थल निरीक्षण टिप्पणी अलग से संलग्न किया जाय।

- (vi) 1.00 हे० से कम वन भूमि का अपयोजन होने पर पातित होने पातित होने वाले वृक्षों का 10 गुना या 1.00 हे० से अधिक वन भूमि के अपयोजन मामलों में दो गुना अवकृष्ट वनों में क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन समर्पित की जाय।
- (vii) परियोजना क्षेत्र में वन्यप्राणी से संबंधित अभियुक्ति (यदि ऐसा है) तो अलग से अंकित किया जाय।
- (viii) परियोजना क्षेत्र निर्माण स्थल से वन्यप्राणी अश्रयणी की दूरी अंकित की जाय।
- (xi) अपयोजित होने वाली वन भूमि का FRA, 2006 का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।
- (x) परियोजना में अपयोजित होने वाली वन भूमि का DGPS Reading भी संलग्न किया जाय।
- जाँचोपरांत प्रस्ताव वापस भेजने हेतु एतदसंबंधी नियमों/निर्देशों में निर्धारित समय सीमा का कृपया ध्यान रखा जाय।

अनु०—यथोक्त।

प्रस्ताव मूलरूप में (सात प्रतियाँ)

विश्वासभाजन,

19/2/2020

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।